

पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना

विषय:- यॉत्रिक कारखाना इज्जतनगर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रेल सेवा में संविदा आधार पर रि-इंगेज(Re-engagement) किए जाने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-E(NG)II/2024/RC-4/9 Dated-15.10.2024 एवं दि०-31.12.2024 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदन उपरान्त यॉत्रिक कारखाना इज्जतनगर में निम्नलिखित रिक्त पदों पर रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संविदा आधार पर रि-इंगेज (Re-engagement) किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम सं०	पदनाम	लेवल	रिक्तियों की सं०	चिकित्सा श्रेणी
1	जू०क्लर्क	02	01	सी-1
2	हेल्पर (Mech)	01	19	सी-1
3	हेल्पर(Electrical)	01	10	सी-1

उपरोक्त पदों पर रि-इंगेज हेतु दैनिक पारिश्रमिक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

1-रि-इंगेज किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी संरक्षा सम्बन्धी सेवा निवृत्त योजना/उदारीकृत एक्टिव सेवा निवृत्ति योजना(लार्जेस) के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं होंगे।

2-रि-इंगेज से पूर्व भूतपूर्व कर्मचारी को आवेदित पद हेतु निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण होना होगा।

3-रि-इंगेज से पूर्व आवेदित पद हेतु कर्मचारी की सुयोग्यता/सक्षमता तथा संरक्षा पदों हेतु अधिमान्य मानकों की जाँच/ऑकलन किया जाना आवश्यक होगा।

4-आरआरबी/आरआरसी/नियमित स्टाफ की उपलब्धता या असंतोषजनक प्रदर्शन या स्टाफ की आवश्यकता की कमी आदि पाये जाने पर रि-इंगेज स्टाफ को आरबीई सं०.96/2024 के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से तुरन्त रि-इंगेजमेन्ट सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

5-अनुशासन एवं अपील नियम के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त समीक्षाधीन समय से पूर्व सेवा मुक्ति/लार्जेस के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्त रि-इंगेज हेतु पात्र नहीं होंगे।

6-अनुबन्ध की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मासिक राशि देय होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में से मूल पेंशन की कटौती करके निर्धारित की जाएगी। अन्य शब्दों में सेवानिवृत्ति पर प्राप्त कर रहे वेतन से अधिक नहीं होगा। अनुबन्ध की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता और एचआरए की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7-रि-इंगेज चाहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले 5 वर्षों की एपीआर की समीक्षा की जाएगी एवं केवल उन्हीं कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा जिनकी सभी 5 वर्षों में कम से कम अच्छी ग्रेडिंग रही हो।

8-रि-इंगेज के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी और रि-इंगेज की अधिसूचना की तिथि को आवेदक की आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9-यह योजना निर्देश जारी होने की तिथि 15.10.2024 या अगले आदेश तक जो भी पहले हो से 2 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए लागू रहेगी। किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्ति अवधि 1 वर्ष या अगले आदेश तक जो भी पहले हो रहेगी। हालाँकि रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर उसकी नियुक्ति अवधि को एक वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो आगे बढ़ाया जा सकता है।

10-सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश की अनुमति दी जाएगी। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11-अनुबन्ध की अवधि में दौरान निवास और कार्यस्थल के बीच का आवागमन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति की अवधि तक अपरिवर्तित रहेगी। हालाँकि सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें अधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता(टीए/डीए) यदि कोई हो दिया जाएगा।

12- रि-इंगेज कर्मचारी को वित्तीय और डी.एंड ए.आर अधिकार नहीं दिए जाएंगे और उन्हें कोई सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हालाँकि रि-इंगेज कर्मचारी वित्तीय और अन्य मामलों पर अपने सुझाव नियमित सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को दे सकते हैं।

13-रि-इंगेज हेतु भूतपूर्व कर्मचारी डीएआर/विजलेंस केस से मुक्त होना चाहिए एवं ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी जिनको रि-इंगेज हेतु विचार किया जाना है, की सत्यनिष्ठा की जाँच की जाएगी।

14-रेलवे बोर्ड के पत्र दि०-31.12.24 में निहित प्रावधान के अनुसार लेवल-1 से लेवल-9 तक सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को संविदा आधार पर रि-इंगेज किए जाने हेतु विचार किया जाएगा। इसके अलावा एमएसीपी योजना के तहत उच्च वेतन पाने वाले पूर्व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल वेतन स्तर के सम्बन्ध में पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

15-पुर्ननियुक्ति हेतु इच्छुक कर्मचारी/आवेदक तत्कालिक आवश्यक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों सहित कार्यरत अन्तिम वर्ष के पर्यवेक्षक से अपना आवेदन अग्रसरित कराकर डाक के माध्यम से इस कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि दि०-30.11.2025 तक जमा कर सकते हैं।

16-इस अधिसूचना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप रेलवे की वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्न-(आवेदन का प्रारूप)

मुख्य कारखाना/प्रबन्धक/कार्मिक/इज्जनगर

सं०याँ / का / 227 / 1 / पुर्ननियुक्ति / सेवानिवृत्त कर्मचारी दि०-10.11.2025

प्रतिलिपि:-1-महाप्रबन्धक/का०/गोरखपुर 2-मु०जन सम्पर्क अधिकारी/गोरखपुर एवं इज्जतनगर-कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें। 3-सभी अधिकारीगण 4-समस्त शाप प्रभारी एवं सभी शाखा प्रभारी 6-सचिव-एन.ई.रेलवे मेन्स कॉग्रेस एवं अजा/अजजा तथा ओबीसी एस०कार०इज्जतनगर 7-नोटिस बोर्ड।


10/11/2025
मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक/इज्जतनगर

सेवा में,

आवेदन का प्रारूप

38

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे, प्रज्जरातनगर

विषय:- संभारण प्रज्जरातनगर से सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों की रेल सेवा में पुनः
नियुक्ति (Re-engagement) के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपकी अधिसूचना सं०-सौ/का/227/1/पुनर्नियुक्ति/सेवा नि०कर्मचारी
दिनांक :-

महोदय,

विशेषोक्ति भागले में आपकी संदर्भित अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रार्थी निम्न
लिखित पद हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर रहा है :-

- 1- सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम.....
- 2- पिता का नाम.....
- 3- सेवा निवृत्ति के समय पद.....
- 4- वेतनमान.....
- 5- मूल वेतन.....
- 6- नियुक्ति स्थान.....
- 7- जन्म तिथि.....
- 8- नियुक्ति तिथि.....
- 9- सेवा निवृत्ति तिथि.....
- 10- शैक्षिक योग्यता.....
- 11- आवेदित पद.....
- 12- वर्तमान पता.....
- 13- मोबाइल नं०.....
- 14- बैंक खाता सं०/IFSC कोड.....

सेवा निवृत्त कर्मचारी के पूर्ण
हस्ताक्षर एवं पूर्व पद

दिनांक.....